छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

पशु आहार संयंत्र,दुर्ग (छ0ग0)

वर्ष 2023 में पशु आहार के अपरिष्कृत स्कंध हेतु ई–निविदा दस्तावेज

छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, पशु आहार संयंत्र दुर्ग (छ0ग0)

पशु आहार के अपरिष्कृत स्कंध हेतु ई–निविदा वर्ष 2023 की विषय सूची

क्र0	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
1.	निविदाकार से सबंधित जानकारी	3 से 4
2.	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें परिशिष्ट–1	5 से 9
3.	निविदाकर्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी बीड हेतु परिशिष्ट –2	10
4.	अपरिष्किृत स्कंध हेतु दर भाग "ख" वित्तिय बीड हेतु परिशिष्ट –3	11
5.	निविदाकर्ता से संविदा का प्रारूप परिशिष्ट –4	12 से 13
6.	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट –5	14 से 19

- समस्त निविदाकारों सं अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टो का गहन अध्ययन करने के उपरान्त ही अपनी दरें प्रस्तुत करे ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत से प्रस्तुत हो सकें।

प्रबंधक

पशु आहार संयंत्र दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
पशु आहार संयंत्र धमधा नाका दुर्ग (छ0ग0)
निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. निविदाकर्ता का नाम व पता — श्री/सुश्री .....
2. निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम — श्री .....
3. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर .....
4. जिला का नाम .....
5. निविदा फार्म का मूल्य — रूपये 1000.00 (कर सहित) (अक्षरी एक हजार रूपये मात्र)

छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ की इकाई पशु आहार संयंत्र द्वारा वर्ष 2023 के लिए ऑनलाईन ई–निविदा के माध्यम से पशु आहार के अपरिष्कृत स्कंध हेतु ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन ई– निविदा हेतु शेडयूल निम्नानुसार है :–

Bid start Date	**05.12.2022**	**05.00 PM**
Bid Due Date	**03.01.2023**	**05.00 PM**
Bid open Date from	**04.01.2023**	**12.00 PM**

टिप्पणी

1. निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को बाद में अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी ,लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान मे कोई परिवर्तन नही होगा।
2. निविदा दस्तावेंज दिनांक **03.01.2023** को शाम **05.00** बजें तक ऑनलाईन से जमा किया जा सकता है, निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है । निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रकिया का विधिवत अध्ययन कर लें एवं अतिंम समय के इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अतिंम समय मे साफ्टवेयर/कनेक्टिविटी आदि मे समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई ना हो । अंतिम समय में साफ्टवेयर/ कनेक्टिविटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेंज जमा नही होने पर समयावृधि करने हेतु दावा आपत्ति अभ्यावेदन मान्य नही होगा और ना ही मैन्यूअल निविदा स्वीकार की जावेगी।

3. निविदा प्रपत्र वेबसाईड htt://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा फार्म की राशि रू0 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) NEFT/RTGS किसी भी अनुसूचित बैंक से C.G. State Coop.Marketing Fed.Ltd. Cattle Feed Factory Durg (Payable- Durg) के पक्ष में डी.डी. (डिमांड डॉपट) बनवाकर डी.डी./मनी रसीद की छायाप्रति ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी.की मूलप्रति निविदा की अतिंम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा एवं रूपये 311/–(तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिशन फीस बेवसाईड htt://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक मे चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा ।

4. निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले ही निविदाकार का ई प्राक्यूरमेन्ट वेबसाईट htt://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित हो ।

निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

"परिशिष्ट–1"

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

1. पशु आहार संयंत्र द्वारा ऑनलाईन ई निविदा जारी की गई है । जिसमें एक तकनीकी बीड (निविदा दस्तावेज का भाग "क") एवं दुसरा वित्तीय बीड (निविदा दस्तावेज का भाग "ख") अलग–अलग है जिसमें उल्लेखित वाछिंत दस्तावेजों को ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा। सर्वप्रथम तकनीकी बीड " क" खोला जावेगा उसकी जानकारी सही पाने पर वित्तिय बीड "ख" को खोला जावेगा जिसे निविदाकर्ता को मान्य करना अनिवार्य होगा।

2. निविदाकार स्वंय यह सत्यापित करेगा कि उसने निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार का इकरारनामा एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त कर लिया गया है । आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है ।

3. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बीड सही पाये जाने पर ही वित्तीय बीड 'ख' खोला जायेगा।

4. सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात विपणन संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप मे अनुबंध एवं सत्यनिष्ठा संधि का निष्पादन संबंधित पशु आहार संयंत्र में किया जाना अनिवार्य है।

5. निविदा वित्तीय बीड में दरें अंकों मे तथा शब्दों मे तथा सुवाच्य, स्पष्ट एवं साफ–साफ लिखा जाना चाहिए। प्रस्तुत दरें युक्तियुक्त एवं व्यवहारिक होना आवश्यक है। अव्यवहारिक दरों वाली निविदा को स्वीकार नही की जावेगी। निर्धारित प्रारूप में कंडिका निविदा कार्य सें संबंधित न हो तो उस पर क्रास का चिन्ह लगाया जावें।

6. निविदा निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत करने का अतिंम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अकिंत है । निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है ।

अपरिष्कृत स्कंध (कच्चामाल) हेतु अमानत राशि एवं अनुगानित कय मात्रा निम्नानुसार है :–

क्र	कच्चामाल	अमानत राशि (रूपये में)	अनुमानित कय मात्रा (टन मे)			
			प्रथम तिमाही जनवरी– मार्च	द्वितीय तिमाही अप्रेल–जून	तृतीय तिमाही जुलाई–सितंबर	चतुर्थ तिमाही अक्टुबर– दिसंबर
1.	मुंगफली खली	50000.00	50	50	50	50
2.	बिनौला खली	20000.00	9	9	9	9
3.	सोयाबीन एक्सट्रेवशन	120000.00	100	100	100	100
4.	राईस ब्रान एक्सट्रेवशन	30000.00	20	20	20	20
5.	कनकी (ब्रोकन राईस अरवा)	25000.00	15	15	15	15
6.	मक्का	130000.00	200	200	200	200
7.	गेहूं चोकर	50000.00	38	38	38	38
8.	डी.सी.पी	10000.00	3	3	3	3
9.	राईस पालिस	25000.00	20	20	20	20
10.	आयोडाईज्ड नमक खड़ा	1000.00	4	4	4	4
11.	लाईम स्टोन पावडर	2000.00	10	10	10	10
12.	प्लास्टिक बेग एचडीईपी साईज (28X40) वजन 110 ग्राम	8000.00	9000 Nag	9000 Nag	9000 Nag	9000 Nag

अमानत राशि आनलाईन **RTGS/NEFT** के माध्यम से या सीधे बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित राशि C.G. STATE CO.OP. MARKETING FEDRATION LTD, CATTLE FEED FACTORY, DURG के नाम से निम्नलिखित खाता क्रमांक में जमा करना है :–

क्र0	बैंक का नाम	IFSC No.	खाता क्रमांक
1.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेशन रोड,दुर्ग	SBIN0009075	10045100113

बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नही की जावेगी एवं किसी भी निविदा को बगैर किसी कारण स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कमेटी को होगा । जमा किये गये राशि की रसीद की छायाप्रति अन्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदाकर्ता कच्चेमाल की दरे प्रति टन नेट वेट (वजन) के आवश्यकतानुसार आपूर्ति के आधार पर भरें, एक बार निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त संयंत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत दर पर कच्चा माल क्रय करेगा, खाली बोरे अथवा उसकी राशि वापस नही दी जावेगी।
2. निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता को निविदा खोलने के दिनांक को आपूर्ति किये जाने वाले (प्लास्टिक बोरी/कच्चा माल) जींस का सेंपल प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। सेंपल के अभाव में निविदा मान्य/अमान्य करना कमेटी के अधिकार में होगा इसमें किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।
3. दरें समस्त टेक्स पेड संयंत्र पहुचांकर भरी जावे (टेक्स जमा करने का उत्तरदायित्व निविदाकर्त्ता का होगा) दरों में कांट–छॉट स्वीकार नही की जावेगी। परिवहन भाडे की राशि आपूर्तिकर्ता को वहन करना पड़ेगा। **संयंत्र में आपूर्ति किये गए स्कंध की अनलोडिंग का हमाली व्यय निविदाकर्ता को वहन करना होगा।** आपूर्ति किये गये स्कंध का भौतिक परीक्षण किया जावेगा उपयुक्त नही पाये जाने पर स्कंध वापस कर दिया जावेगा इस पर किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय नही दिया जावेगा।
4. निविदा की तिथी में लागू सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर स्वीकृत दर में शामिल होंगे। आयकर एवं आयकरों की स्त्रोत पर कटौती प्रचलित नियमानुसार की जावेगी। यदि सफल निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार के करों अथवा अन्य वैधानिक उत्तरदायित्वों के भुगतान में अथवा पालन में लापरवाही बरती जाती है तो विपणन संघ को अधिकार होगा कि ऐसे सभी उत्तरदायित्वों के पेटे भुगतान की गई राशि की सफल निविदाकार से किसी भी प्रकार की देय राशि से वसूल कर ले।
5. कच्चामाल का रासायनिक स्पेशिफिकेशन (निर्धारित मापदण्ड) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है उसी के अनुरूप स्कंध होना अनिवार्य है निर्धारित मापदण्ड से 2 इकाई कम होने तक माल स्वीकार किया जावेगा और अधिक कम होने पर माल स्वीकार नही किया जावेगा। (आवश्यक परिस्थिति में लेब रिपोर्ट आने के पूर्व यदि माल का प्रयोग कर लिया जाता है तो निर्धारित मापदण्ड इकाई से कम/अधिक होने पर निविदाकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गये कच्चे माल के बिल से अंतर प्रतिशत राशि की कटौती की जावेगी) निर्धारित मापदण्ड का अर्थ नमी, कुड प्रोटीन, कुड फाईवर, आयल एवं सेन्ड सिलिका से है। अस्वीकृत माल का 07 दिवस के भीतर उठाने की जवाबदारी निविदाकर्त्ता आपूर्तिकर्ता की होगी । विलंब के लिए संयंत्र, शासन द्वारा निर्धारित भण्डारण शुल्क एवं सुरक्षा आदि की राशि जोड़कर गोदाम किराया वसूल कर सकेगा।

6. आपूर्ति किये गये माल का नमूना संयंत्र के प्रतिनिधि द्वारा लिया जावेगा इस समय आपूर्तिकर्ता स्वंय अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है संयंत्र द्वारा लिया गया नमूना निविदाकर्ता को मान्य करना होगा। संयंत्र द्वारा चार नमूने सील किये जावेगें कच्चेमाल के एक सील नमूने को प्रयोगशाला मे परीक्षण हेतु भेजा जावेगा तथा एक नमूना निविदाकर्ता को दिया जावेगा तथा दो सील्ड नमूने संयंत्र में सुरक्षित रखे जावेगें। विवाद की स्थिति में दोनो सील्ड नमूने को किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जावेगा। इस प्रकार तीन परीक्षण रिपोर्ट मे दो नजदीक वाले रिपोर्ट का औसत निकालकर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी जो कि निविदाकर्ता को मान्य करना होगा। नमूने जांच का व्यय निविदाकर्ता को वहन करना होगा जिसकी कटौती निविदाकर्ता के देयक से की जाएगी।

7. कच्चेमाल आपूर्ति की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक वैध रहेगी । निविदा मे अकिंत कच्चामाल की मात्रा मे कमी/वृद्वि संयंत्र की आवश्यकता पर की जा सकती है, आवश्यकता नही होने पर क्रय नही किया जावेगा। निविदा दरें उपरोक्तानुसार शर्तों को ध्यान में रखकर भरी जायें, इस पर किसी प्रकार का विवाद मान्य नही होगा।

8. न्यूनतम दर में निविदाकार से क्रय करना संयंत्र की बाध्यता नही होगी। संयंत्र फीड सप्लीमेंट की क्वालिटी को देखते हुये क्रयादेश जारी करेगा। कय आदेश जारी करते समय फीड सप्लीमेन्ट की न्यूनतम दर के साथ निर्माता कम्पनी की प्रतिष्ठा , गुणवत्ता एवं दर के अनुसार कमेटी संयंत्र के हित में निर्णय लेगी। फीड सप्लीमेन्ट की दरे स्वीकृति पश्चात संयंत्र आवश्यकतानुसार क्रयादेश जारी करेंगा। यदि फीड सप्लीमेंट हेतु पर्याप्त निविदा नही आती है तो इस स्थिति में संयंत्र की आवश्यकतानुसार पूर्व तिमाही के स्वीकृत एल–1 निविदाकार एवं स्वीकृत दर पर कय करने की अनुशंसा कमेंटी कर सकती है। यदि एल–1 द्वारा असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति मे एल–1 दर पर एल–2, एल–3 से निगोशियेशन एवं सहमति प्राप्त कर कार्य करवाया जा सकेगा।

9. न्यूनतम दर देने वाले निविदाकर्ता (एल – 1) से ही निगोशियेशन किया जावेगा । निगोशियेटेड दर पर माल प्रदाय करना अनिवार्य होगा ।

10. कच्चेमाल की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश जारी किया जावेगा जिसमें मात्रा, गुणवत्ता, मापदण्ड, समयावधि निर्धारित रहेगी, उसी के अनुरूप माल प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। संयंत्र अपनी खपत के आधार पर क्रय करने के लिये स्वतंत्र रहेगा, आपूर्ति हेतु समय सीमा का निर्धारण प्रबंधक द्वारा किया जावेगा , यदि समयावधि मे स्कंध की आपूर्ति नही की जाती है तो निविदाकर्ता को समय अवधि समाप्ति के पूर्व लिखित में सूचना देना होगा, समय में वृद्वि की मांग करने पर प्रबंधक द्वारा संयंत्र की आवश्यकता को देखते हुये 7 (सात) दिवस का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, इसके पश्चात आपूर्ति नही करने पर आदेशित मात्रा में दो प्रतिशत पेनाल्टी लगाया जावेगा। विशेष परिस्थिति में आपूर्ति हेतु समय अधिकतम एक माह कार्य दिवस तक ही बढाया जायेगा।

11. यदि कोई सफल निविदाकार क्रयादेश देने के बाद भी कच्चेमाल की आपूर्ति नही करता है तो उस निविदाकर्ता की अमानत राशि जब्त की जावेगी।

12. निर्धारित समय पर कच्चामाल आपूर्ति नही होने पर पशु आहार संयंत्र का कार्य प्रभावित होता है एवं विकय मे हानि होती है । अतः निर्धारित समयावधि मे आपूर्ति नही करने वाले निविदाकर्ता का क्रय आदेश निरस्त किया जावेगा तथा ऐसी स्थिति मे एल–1 दर पर एल–2, एल–3 से निगोशिएशन एवं सहमति प्राप्त कर कार्य करवाया जा सकेगा। यदि दरों में अन्तर रहा तो अंतर की राशि का समायोजन निविदाकर्ता से किया जावेगा । आपूर्ति नही करने वाले निविदाकारों को पशु आहार संयंत्र के आगामी निविदाओं से प्रतिबंधित किया जायेगा

एवं आपूर्ति नहीं करने वाले निविदाकारो की अमानत राशि राजसात कर 03 वर्ष के लिए काली सूची में डाला जावेगा।

13. कच्चेमाल का भुगतान माल प्रदाय पर देयक प्रस्तुत करने के दिनांक से न्यूनतम 21 दिवस के पश्चात लैब रिपोर्ट आने के बाद किया जावेगा, विलम्ब होने पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

14. सफल निविदाकार की अमानत राशि समस्त आदेशित मात्रा की आपूर्ति करने के पश्चात बगैर ब्याज के वापस कर दी जावेगी तथा असफल निविदाकार की अमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दिया जावेगा।

15. स्वीकृत निविदाकर्ता को कच्चामाल आपूर्ति करने के लिये संयंत्र की आवश्यकता अनुसार शीघ्र ही क्रय आदेश अथवा दूरभाष पर सूचना दिया जा सकता है ताकि कच्चामाल की आपूर्ति शीघ्र ही प्राप्त की जा सकें। क्रय आदेश व्यक्तिगत भी प्राप्त कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक या कोरियर सर्विस के माध्यम से निविदा मे दर्शाये गए पते पर प्रेषित किया जावेगा। त्वरित सुविधा हेतु निविदाकर्ता अपना ईमेल का उल्लेख अवश्य करें।

16. किसी भी तिमाही में यदि आगामी तिमाही के दरें उच्च स्तिरिय होने पर पूर्व तिमाही की दरों पर आगामी तिमाही के आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति से इंकार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एल–1 दर पर एल–2, एल–3 से निगोशिएशन एवं सहमति प्राप्त कर कार्य करवाया जा सकता है। यदि एल–2, एल–3 द्वारा असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में पूर्व तिमाही के स्वीकृत निविदाकार से स्वीकृत दर पर निगोशिएशन एवं सहमति प्राप्त करने के उपरांत कमेटी आगामी तिमाही हेतु खरीदी करने स्वतंत्र रहेगी। यदि दरों में अन्तर रहा तो अन्तर की राशि का समायोजन नही करने वाले निविदाकर्ता से किया जावेगा। इस पर किसी भी तरह का विवाद मान्य नहीं होगा।

17. निविदाकर्ता को निर्धारित अनुमानित मात्रा की आपूर्ति मॉग पर करना आवश्यक है, यदि निर्धारित मात्रा से अधिक की मॉग निविदा की स्वीकृत दर पर संयंत्र द्वारा किया जाता है तो वे प्रदाय कर सकते है यदि निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय नही किया जाता तो आवश्यकता पर उस तिमाही के लिए एल–2 निविदाकार से एल–1 दर पर सहमति प्राप्त कर कार्य करवाया जा सकेगा । यदि एल–2 निविदाकार द्वारा असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उस तिमाही के लिए एल–3 निविदाकार से कार्य करवाये जाने की अनुशंसा कमेटी द्वारा की जा सकती है। किसी भी प्रकार के विवाद को विपणन संघ के प्रबंध संचालक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा उनका निर्णय (संघ तथा निविदाकर्ता) दोनो पक्षो को मान्य करना होगा तथा उनके द्वारा दिया गया निर्णय दोनो पक्षो को बंधनकारी होगा।

18. पशु आहार संयंत्र, छ0ग0राज्य सह0 विप0 संघ मर्या0 एवं सफल निविदाकार के मध्य सत्यनिष्ठा संधि तथा इकरारनामा करना अनिवार्य होगा। निविदा के तकनीकी दस्तावेज में इकरारनामा एवं सत्यनिष्ठा संधि (Integrity pact) जमा करना अनिवार्य नही है। सफल निविदाकार द्वारा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में इकरारनामा एवं स्वंय के लेटरहेड में सत्यनिष्ठा संधि का निष्पादन किया जायेगा। यह सत्य निष्ठा संधि छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मुख्यालय रायपुर के द्वारा हस्ताक्षरित माना जावेगा।

19. निष्पादित किये गये निर्धारित अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात यदि विपणन संघ चाहे तो उसी स्वीकृत दर पर कार्य कराने हेतु 03 माह के खण्ड में अधिकतम 01 वर्ष तक के लिए वृद्धि की जा सकेगी।

प्रबंधक
पशु आहार संयंत्र
दुर्ग (छ.ग.)

"परिशिष्ट–2"

तकनीकी घोषणा प्रपत्र बीड – "क" (तकनीकी बीड हेतु)

कार्यालय छत्तीसगढ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
पशु आहार संयंत्र धमधा नाका दुर्ग (छ0ग0)

(1) निविदाकार का नाम .....

(2) फर्म/प्रतिष्ठान का नाम एवं पता .....

.....

(3) अमानत राशि का विवरण .....

अ. राशि .....

ब. बैंक का नाम .....

स. डी.डी क्रमांक /RTGS .....

(बैक स्टेटमेन्ट सहित) .....

(4) वाणिज्यिक कर विभाग का जीवित

प्रमाण पत्र .....

(1) जी.एस.टी.क्र. .....

(5) आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र .....

वित्तिय वर्ष 2021–22 एवं असिस्मेंट ईयर 2022–23 .....

(6) निविदा फार्म के मूल्य का विवरण .....

मूल्य डी0डी क्र./RTGS .....

(7) अन्य विवरण यदि हो तो .....

मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्ते पढ़ ली गई है एवं समझ ली गई है। मुझे समस्त शर्तें मान्य है।

1.निविदाकार के नाम एवं हस्ताक्षर

2.फर्म/प्रतिष्ठान का नाम/सील

3. मोबाईल नं0

"परिशिष्ट–3"

वित्तीय घोषणा पत्र बीड "ख"

प्रति,

प्रबंधक
पशु आहार संयंत्र
दुर्ग (छ0ग0)

विषय : कच्चामाल प्रदाय करने के लिए आमंत्रित निविदा में दर के संबंध में ।

महोदय,

संयंत्र द्वारा कच्चामाल क्रय करने के लिए दिये गये विज्ञापन अनुसार दिनांक ..... को आमंत्रित निविदा में हमारे द्वारा निम्न जिन्सों की दरें दी जा रही है। हमारे द्वारा आपकी टेण्डर शर्तो का अवलोकन कर लिया गया है। हमे समस्त शर्ते नियम स्वीकार है, हमारे द्वारा दी गई दरें समस्त टेक्स G.S.T सहित दुर्ग संयंत्र डिलीवरी पहुंचाकर निर्धारित मापदण्ड अनुसार दी गई है :–

मात्रा टन मे राशि रूपये में

S.No.	Item Name	First Third Month			Second Third Month			Third Third Month			fourth Third Month		
		January to March			April to June			July to September			October to December		
		Quantity in ton	Rate per ton	Amount	Quantity in ton	Rate per ton	Amount	Quantity in ton	Rate per ton	Amount	Quantity in ton	Rate per ton	Amount
1													

For HDPE Bags-

S.No.	Item Name	First third Month			Second Third Month			Third Third Month			fourth Third Month		
		January to March			April to June			July to September			October to December		
		Quantity in No.	Rate per Bag	Amount	Quantity in No.	Rate per Bag	Amount	Quantity in No.	Rate per Bag	Amount	Quantity in No.	Rate per Bag	Amount
1													

1.निविदाकार के नाम एवं हस्ताक्षर

2.फर्म/प्रतिष्ठान का नाम/सील

3. मोबाईल नं0

"परिशिष्ट–4"

–: संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप :–

(50 रु. के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक ..... दिन ..... को यह अनुबंध पत्र छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मुख्यालय रायपुर की ओर से प्रबंधक पशु आहार संयंत्र दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) पक्ष क्रमांक–01 तथा मेसर्स ..... पक्ष क्रमांक–02" के मध्य किया जाता है।

1. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में अपरिष्कृत स्कंध की दर प्रति टन गन्तव्य तक पहुँचाकर रूपये .....शब्दों में ..... स्वीकृत किया गया है।

2. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा अनुबंधित अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से .....तक स्वीकृत दर पर निविदा के साथ दिये गये नियम एवं शर्तो के अनुरूप अपरिष्कृत स्कंध (कच्चा माल) आपूर्ति करने हेतु वचनबद्ध है।

3. निविदाकर्ता को स्वीकृत दर के हिसाब से अपरिष्कृत स्कंध (कच्चा माल) आपूर्ति के पश्चात् देयक प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 21 दिवस पश्चात अनुबंध की शर्तो के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।

4. यह कि पक्ष क्रमांक–02 को पक्ष क्रमांक–01 की ओर से प्रबंधक पशु आहार संयंत्र दुर्ग द्वारा पशु आहार संयंत्र दुर्ग में अपरिष्कृत स्कंध आपूर्ति हेतु दिये गये कार्यादेश के अनुरूप आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। समय पर आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में होने वाली क्षति की वसूली पक्ष क्रमांक–02 से की जावेगी, उक्त आपूर्ति अन्य से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह पक्ष क्रमांक–02 से वसूल की जावेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी। उसे भविष्य में निविदाओ में भाग लेने से वंचित किया जायेगा।

5. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा अपरिष्कृत स्कंध आपूर्ति में लगने वाले समस्त टैक्स स्वयं वहन करना पड़ेगा।

6. यह कि पक्ष क्रमांक–02 को निर्धारित मापदण्ड में अपरिष्कृत स्कंध आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। अपरिष्कृत स्कंध गुणवत्ताहीन होने पर पक्ष क्रमांक–01 द्वारा अस्वीकार किया जावेगा।

7. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा अपरिष्कृत स्कंध के ट्रक/मेटाडोर को धर्मकांटा में तौल अनुसार प्राप्त वजन के आधार पर देयक प्रस्तुत किया जावेगा।

8. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा नियमानुसार पक्ष क्रमांक–02 के बिल से शासन द्वारा निर्धारित टेक्स की कटौती की जावेगी।
9. यह कि पक्ष क्रमांक–02 को अनुबंध के पूर्व प्रत्येक अपरिष्कृत स्कंध हेतु निर्धारित अमानत राशि आनलाईन **RTGS/NEFT** के माध्यम से या सीधे बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है।

10. यह कि निविदा एवं अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेतर समय के लिए निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।

11. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा अपरिष्कृत स्कंध आवश्यक मात्रा की जानकारी पक्ष क्रमांक–02 को समय–समय पर उपलब्ध कराया जावेगा।

12. यह कि पक्ष क्रमांक–01 द्वारा संयंत्र में आवश्यकता होने पर ही आपूर्ति आदेश जारी किये जावेंगे। किन्ही परिस्थिति वर्ष आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में अपरिष्कृत स्कंध आपूर्ति आदेश देना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं है।

13. यह कि पक्ष क्रमांक–02 द्वारा अपरिष्कृत स्कंध की आपूर्ति पशु आहार संयंत्र दुर्ग में उक्त स्वीकृत दरो पर करनी होगी।

14. सभी विवादों और निविदा से वांछित किसी भी शर्तो के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षंकारों को मान्य होगा।

15. छत्तीसगढ़ शासन, वित एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2 01 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2015 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय रायपुर एवं निविदाकार के मध्य "सत्यनिष्ठा संधि" (Integrity Pact) होना अनिवार्य है जिसका निष्पादन निविदा स्वीकृत होने के बाद किया जायेगा।

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
पदनाम.....	पदनाम.....
(पक्ष क्रमांक–01)	(पक्ष क्रमांक–02)
सील	सील .....
साक्षी :	साक्षी :
.....	.....
हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
नाम व पता.....	नाम व पता.....
.....	.....

Department of Animal Nutrition
College of Veterinary Science & A.H., Anjora, Durg
(Dau Shri Vasudev Chandrakar Kamdhenu Vishwavidyalaya)

Nutrient composition of commonly used feed ingredient

Ingredient	DM	CP	EE	CF	Total ash
Yellow maize	89-90	8.0	3.5	2.2	2.5
White jowar	89-90	10.0	2.2	2.7	2.5
Bajra	89-90	11.5	4.6	2.5	2.2
Broken rice	89-90	8.0	1.0	1.0	1.3
Wheat	89-90	11.0	2.6	2.0	2.4
Ragi	89-90	10.3	1.2	3.7	3.9
Rice polish	89-90	13.0	11.0	9.0	11.9
Deoiled rice bran	89-90	14.9	-	14.0	14.6
Rice bran	89-90	14.0	9.8	15.0	14.0
Wheat bran	89-90	13.5	3.4	10.0	6.2
Molasses	65	3.0	-	-	2.5
Sunflower cake-undecorticated	89-90	26.8	6.4	25.3	14.0
Sunflower meal	89-90	33.0	-	22.6	9.2
Soybean meal	89-90	46.0	-	7.4	7.0
GNC	89-90	37.0	7.0	7.9	6.6
GN meal	89-90	42.0	-	10.0	5.4
Rapeseed cake	89-90	34.0	7.0	9.0	8.0
Safflower cake-expeller	89-90	42.8	7.3	15.2	6.8
Cotton seed cake-expeller	89-90	28.0	6.7	14.5	4.4

Ca and P supplements	Ca (%)	P (%)
Calcium carbonate/ lime stone powder	34-35	
Oyster shell/ Shell grit	34-35	
Calcium phosphate (DCP)	26	21
Monocalcium phosphate (MCP)	17	21

Incharge-Head

INCHARGE
Dept. of Animal Nutrition
College of Vety. Sci. & A.H.
Anjora, Durg (Chhattisgarh)

"परिशिष्ट – 5"

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20, between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri_____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the **"BUYER/PRINCIPAL"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) andM/s._____ _____representedbyShri_____Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ hasoffered.

1.2 WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government ofChhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a viewto:-

2.1 Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desiredStores/Equipment/Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2 Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparentprocedures.

3. COMMITMENTS OF THEBUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1 The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to thecontract.

3.2 TheBUYER/PRINCIPALwill,duringthepre-contractstage,treatallBIDDER /SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/ SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3 All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such abreach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OFBIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre- contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of thecontract.

4.2 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with theGovernment.

4.3 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation orrecommendation.

4.4 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and thedetails of services agreed upon for suchpayments.

4.5 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of thecontract.

4.6 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegalactivities.

4.7 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information isdivulged.

4.8 The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiablefacts.

4.9 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate anythird person to commit any of the acts mentionedabove.

5. PREVIOUSTRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify BIDDER's exclusion from the tenderprocess.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITYDEPOSIT)

6.1 Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the followinginstruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favourof...

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the. (BUYER/PRINCIPAL)on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof ofpayment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2 The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever islater.

6.3 In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of thisPact.

6.4 No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FORVIOLATIONS

7.1 Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, whereverrequired:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reasontherefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing PrimeLending Rateof_____(Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum andinterest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along withinterest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing thecontract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contractsigned by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, the same shall not beopened.

(x) If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of theBIDDER/SELLER/ CONTRACTOR or any person acting on behalf of theBIDDER/SELLER/ CONTRACTOR,either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in theBIDDER/SELLER/ CONTRACTOR's firm, thesameshall be disclosed by the BIDDER/SELLER/ CONTRACTORat the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shallentitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of

other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. TheBIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2 The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8 FALLCLAUSE

8.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already beenconcluded.

9 INDEPENDENT'MONITORS

9.1 The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referredtoas Monitors) for thisPact.

9.2 The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under thisPact.

9.3 The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the partiesand perform their functions neutrally andindependently.

9.4 Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5 As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the*BUYER/PRINCIPAL.

9.6 The Monitor will submit a written report to the designated Authority ofBUYER/ PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10 FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11 LAW AND PLACE OEJURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh.**

12 OTHER LEGALACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13 VALIDITY

13.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their originalintentions.

14 The parties hereby sign this Integrity Pact at ..... on.....

BUYER/PRINCIPAL **BIDDER/SELLER/CONTRACTOR**

Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Destination
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness **Witness**

1) _____ **1)**_____

2) _____ **2)**_____